

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 198/2025  
अनुदान :

1. दीप सिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।  
2. प्रेम सिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।  
वादीगण

बनाम  
1. बलदेवसिंह पुत्र नसीब सिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।  
2. कमलेश देवी पत्नी बलदेवसिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।

3. सरोज कुमारी पुत्री बलदेवसिंह पत्नी सुरजीत सिंह जाति राजपूत निवासी बार्ड नं० 06,  
नंगल जरियालां तहसील घनारी जिला उनां।

4. रजनी देवी पुत्री बलदेवसिंह पत्नी लक्की गुलेरिया जाति राजपूत निवासी जवाहर नगर  
तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद।  
प्रतिवादीगण



दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपरिथित:- 1 अधिवक्ता श्री करनैलसिंह :- वादीगण

2 अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद वर्मा :- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 28/5/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के  
समक्ष वकील वादीगण श्री करनैलसिंह व महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण  
अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण  
की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री  
किया जाकर घोषणा की जाती है कि

(क) वादी सं० 1 को प्राप्त आराजी:- चकनं० 5 जीजीआर के प०न० 206/297 मु० 23  
किला नं० 19/.2530 है०


(ख) वादी सं० 2 को प्राप्त आराजी:- चकनं० 5 जीजीआर के प०न० 206/297 मु० 23  
किला नं० 21/.2530 है०

(ग) वादीगण सं० 1 व 2 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी- चकनं० 8 जीजीआर के खाता सं० 274/265 में अंकित कुल 1.265 है० अ०क० मय गै०मु० आराजी में से 1.012 है० आराजी

उपरोक्त अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 5 जीजीआर के खाता सं० 87/87 में से बलदेवसिंह का नाम कलमजन व चक नं० 8 जीजीआर के खाता सं० 274/265 में से बलदेवसिंह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी